IJAER/Feb-March 2015/Volume -4/Issue-2 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार, मानवाधिकारों और संविधान की परीक्षा

डॉ गैब्रियल खान

व्याख्याता.राज. विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय .अजमेर

सार

मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं इन अधिकारों का उदभव मानव की अंतर्निहित गरिमा से हुआ है। विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार और उदघोषित किया। इस उदघोषणा में अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और अधिकारों की विश्वव्यापी एवं प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पश्चात मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक प्रसंविदा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक अधिकार प्रसंविदा 1966 और अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार पर प्रसंविदा के वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अंगीकार किया।

मुख शब्द: स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार

परिचय

मानवाधिकार परिषद का मिशन, विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है. संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था ने पहली बार एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें स्वस्थ व टिकाऊ पर्यावरण की सुलभता को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है.

प्रस्ताव में, इस अभूतपूर्व क़दम को लागू करने के लिये, सभी देशों और अन्य साझीदारों से एक साथ मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया गया है.

मानवाधिकार परिषद की प्रमुख और फ़िजी की राजनयिक नज़हत शमीम ने हथौड़े की चोट से जब मतदान के नतीजे घोषित किये तो उस क्षण, पर्यावरण एवं मानवाधिकार के मुद्दे पर यूएन के विशेष रैपोर्टेयर, डेविड बॉयड भी सभागार में मौजूद थे.

उन्होंने बताया कि पेशेवर जीवन में, यह उनके अब तक के सबसे रोमांचकारी अनुभवों में से एक के रूप में याद रहेगा. उन्होंने विशाल पैमाने पर किये गए सामूहिक प्रयासों की सराहना की.

"इस प्रस्ताव को पारित कराने में वस्तुतरू, लाखों लोगों और वर्षों दर वर्षों का समय लगा है."

इस प्रस्ताव में एक हज़ार से ज़्यादा नागरिक समाज, बाल, युवा और आदिवासी समुदाय के संगठनों के प्रयासों का उल्लेख किया गया है. प्रस्ताव के पक्ष में 43 वोट डाले गए, जबकि चार सदस्य देश मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे.

प्रस्ताव में एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दिये जाने, उसे लागू किये जाने और इस अधिकार की रक्षा किये जाने की बात कही गई है. मगर, यह अधिकार किन मायनों में महत्वपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले समुदायों के लिये इसके क्या निहितार्थ हैं?

यूएन न्यूज़ ने इस विषय में छह महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सामग्री तैयार की है.

पहले, एक नज़र मानवाधिकार परिषद के कामकाज और इस प्रस्ताव के महत्व पर...

मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक अन्तर–सरकारी संस्था है, जिसका दायित्व विश्व भर में, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा सुनिश्चित करना है.

यह परिषद साथ ही, मानवाधिकार हनन के मामलों और सम्बन्धित परिस्थितियों से निपटे जाने के लिये अनुशंसाएँ भी पेश की जाती हैं. परिषद में 47 सदस्य देश हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान और पूर्ण बहुमत के आधार पर तय होता है.

मानवाधिकार परिषद में विश्व के हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है.

मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव "राजनैतिक अभिव्यक्ति" हैं, जोकि विशेष मुद्दों और परिस्थितियों पर परिषद के सदस्यों (या उनके बहुमत) के रुख़ को प्रदर्शित करती हैं.

मानवाधिकार से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर इन दस्तावेज़ों का मसौदा, सदस्य देश तैयार करते हैं, जिसके बाद उन पर चर्चा होती है.

आमतौर पर, इनसे सदस्य देशों, नागरिक समाज और अन्तर–सरकारी संगठनों के बीच बहस व विचार–विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. नए मानक,रुख़ और आचरण के सिद्धान्त स्थापित किये जाते हैं, या फिर आचरण के मौजूदा नियम परिलक्षित होते हैं.

इस प्रस्ताव के ज़रिये पहली बार, एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की सुलभता की एक मानवाधिकार के रूप में शिनाख़्त की गई है.

प्रस्ताव को रूप देने में दशकों का समय लगा...

वर्ष 1972 में, स्टॉकहोम में पर्यावरण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जोकि एक ऐतिहासिक घोषणा–पत्र के साथ सम्पन्न हुआ.

इस सम्मेलन के ज़रिये, पहली बार पर्यावरणीय मुद्दों को अन्तरराष्ट्रीय चिन्ताओं के केन्द्र में रखा गया.

इसके साथ ही, आर्थिक प्रगति, वायु, जल और महासागर के प्रदूषण, और मानवता के स्वास्थ्य–कल्याण के मुद्दे पर, औद्योगिक व विकासशील देशों के बीच सम्वाद आरम्भ हुआ.

हर इनसान को, एक स्वस्थ पर्यावरण और वातावरण में जीवन जीने का अधिकार हासिल है, जो प्रदूषण और उसके हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो.

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने उस समय घोषणा की थी कि गरिमामय और खुशहाल जीवन की उपलब्धता, एक गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण के ज़रिये ही सुनिश्चित की जा सकती है, और यह लोगों का बुनियादी अधिकार है. इस क्रम में ठोस कार्रवाई की पुकार लगाई गई थी.

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अग्रिम मोर्चे पर जूझ रहा, लघु द्वीपीय विकासशील देश – मालदीव, वर्ष 2008 से ही, मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सिलसिलेवार प्रस्ताव पेश करता रहा है.

पिछले एक दशक में मानवाधिकार और पर्यावरण के मुद्दे पर प्रस्ताव, सभा पटल पर रखे गए हैं.

मालदीव, पिछले कुछ वर्षों में अपने सहयोगी देशों, मानवाधिकारों व पर्यावरण पर यूएन के विशेष रैपोर्टेयर सहित कुछ संगठनों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय, एक नए, सार्वभौमिक अधिकार की घोषणा किये जाने की दिशा में अग्रसर रहा है.

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश, मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट और विश्व भर में एक हज़ार से अधिक नागरिक समाज संगठनों ने इस मुहिम को अपना समर्थन दिया.

परिषद के क़रीब 70 सदस्य देशों ने हाल के समय में, प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने वाले मूल समूह के देशों द्वारा ऐसी कार्रवाई के आहवान को अपना समर्थन दिया.

संयुक्त राष्ट्र की 15 एजेंसियों ने एक साझा घोषणापत्र जारी करते हुए इस सम्बन्ध में प्रस्ताव के लिये पैरवी की.

न्यूयॉर्क के एक प्राइमरी स्कूल के छात्र, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जुलूस निकालते हुए.

इस वर्ष, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूएन विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा जारी वक्तव्य में पशुजनित बीमारियों, जलवायु आपात स्थिति, ज़हरीले प्रदूषण और लुप्त होती जैवविविधता पर चिन्ता जताई गई.

विशेषज्ञों ने आगाह किया कि मौजूदा चुनौतियों ने पृथ्वी के भविष्य को फिर से अन्तरराष्ट्रीय एजेण्डा के शीर्ष पर ला दिया है.

डेविड बनाम गोलिएथ की लोक प्रसिद्ध कहानी के अनुरूप३

अन्ततरू, मतदान और निर्णय के पड़ाव तक पहुँचने के लिये, देशों के मूल समूह ने गहन अन्तर–सरकारी चर्चा और विचार–विमर्श को आगे बढ़ाया, और पिछले कुछ वर्षों में विशेषज्ञों के सेमिनार भी आयोजित किये गए.

ज़ाम्बिया के एक युवा पैरोकार और पर्यावरणवादी लेवी मुवाना ने भी एक ऐसे ही सेमिनार में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें घर के पास गन्दे पानी में खेलने की वजह से, बिलहर्ज़िया नामक एक परजीवी बीमारी हो गई थी.

कुछ साल बाद, उनके समुदाय में हैज़ा की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई. ऐसी घटनाएँ आम बात हैं और अक्सर होती रहती हैं.

उन्होंने पिछले वर्ष अगस्त महीने में मानवाधिकार परिषद को बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में जलजनित संक्रामक बीमारियाँ बढ़ रही हैं, विशेष रूप से सब–सहारा अफ़्रीका में.

लेवी मुवाना ने स्पष्ट किया कि उनकी कहानी कोई अनूठी बात नहीं है, और दुनिया भर में बड़ी संख्या में बच्चों पर, पर्यावरणीय संकटों का विनाशकारी असर हुआ है.

लेवी मुवाना के साथ, एक लाख से अधिक अन्य बच्चों व साथियों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को पहचान दिये जाने का आहवान करने वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर किये थे. अन्ततरू उनकी आवाज़ सुनी गई है.

यूएन के विशेष रैपोर्टेयर डेविड बॉयड ने बताया कि यह घटनाक्रम लोक प्रसिद्ध, डेविड बनाम गोलिएथ की कहानी के समान है.

सभी नागरिक समाज संगठन, पुरज़ोर विरोध का सामना करने के बावजूद, अपनी मुहिम में कामयाब रहे, और अब एक ऐसा औज़ार या दस्तावेज़ प्राप्त हुआ है जिसकी मदद से, एक न्यायोचित व टिकाऊ विश्व की ख़ातिर, लड़ाई लड़ी जा सकती है.

उद्देशय

1ण स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का अध्ययन

2ण मानवाधिकारों और संविधान की परीक्षा का अध्ययन

मगर, प्रस्ताव के क़ानूनी रूप से बाध्यकारी ना होने से कितना असर होगा...

स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ डेविड बॉयड ने बताया कि यह प्रस्ताव, हर एक पर्यावरणीय मुद्दे पर ज़्यादा महत्वाकांक्षा कार्रवाई के उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा.

काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य के इतुरी प्रान्त में लड़कियाँ, घर से दूर स्थित एक स्रोत से पानी ला रही हैं.

"यह वास्तव में ऐतिहासिक है, और यह हर किसी के लिये अर्थपूर्ण है, चूँकि हम जानते हैं कि फ़िलहाल, विश्व में 90 फ़ीसदी लोग प्रदूषित हवा में साँस ले रहे हैं."

उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के ज़रिये वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिये, प्रयासों में स्फूर्ति लाई जा सकती है, जिससे अरबों लोगों के जीवन में बेहतरी आएगी.

मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी मदद से मज़बूत राजनैतिक संकल्प दर्शाया जाता है.

यूएन के विशेष रैपोर्टेयर ने बताया कि यूएन प्रस्तावों से आने वाले बदलावों का सर्वोत्तम उदाहरण, वर्ष 2010 में पारित वो प्रस्ताव है, जिसमें पहली बार जल सुलभता के अधिकार को मान्यता दी गई.

इस प्रस्ताव ने दुनिया भर में सरकारों के लिये, अपने संविधान और क़ानूनों में जल के अधिकार को जगह देने के लिये प्रेरित किया.

डेविड बॉयड ने मैक्सिको का उदाहरण दिया जहाँ संविधान में जल का अधिकार जोड़े जाने के बाद, एक हज़ार से अधिक ग्रामीण समुदायों तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाया गया है.

इसी प्रकार, यूएन प्रस्ताव पारित होने और स्लोवेनिया के संविधान में इस अधिकार को जगह मिलने के बाद के समय में, रोमा समुदायों तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाया गया है. ये समुदाय अक्सर शहरों के बाहरी इलाक़ों में अनियमित बस्तियों में रहते हैं.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक़, वैश्विक स्तर पर स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दिये जाने से पर्यावरणीय संकटों से एक ज़्यादा समन्वित, कारगर और बिना किसी भेदभाव के निपटने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा.

साथ ही, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण में जुटे व्यक्तियों को मज़बूत समर्थन मिलेगा और एक ऐसे विश्व का निर्माण होगा, जहाँ लोग प्रकृति के साथ समरसतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर पाएंगे.

मानवाधिकारों और पर्यावरण के बीच सम्बन्ध निर्विवाद है...

स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ डेविड बॉयड ने जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों के अधिकारों पर हुए विनाशकारी असर का प्रत्यक्ष अनुभव किया है.

एक विशेष रैपोर्टेयर के तौर पर अपने पहले मिशन में, ऐसे समुदायों से मुलाक़ात की जिन्हें, बढ़ते समुद्री जलस्तर, तटीय क्षरण और गहन होते तूफ़ानों की वजह से विस्थापित होना पड़ा है.

फ़िजी के एक द्वीप पर समुद्र किनारे एक सुन्दर तटीय इलाक़े से, लोगों को अपना पूरा गाँव तीन किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा.

वृद्धजन, विकलांगजन और गर्भवती महिलाएँ अब उस महासागर से दूर हो गए हैं जिन्होंने अनेक पीढ़ियों से उनकी संस्कृति व आजीविका को पोषित किया है.

और ये हालात महज़ विकासशील देशों में ही नहीं देखे जा रहे हैं. डेविड बॉयड ने नॉर्वे का भी दौरा किया जहाँ सामी आदिवासी समुदाय को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है.

"मैंने वहाँ बेहद दुख भरी कहानियाँ सुनी. हज़ारों सालों से उनकी संस्कृति और उनकी अर्थव्यवस्था, रेण्डियर झुण्ड पालन पर आधारित है, मगर अब सर्दियों में गर्म मौसम की वजह से, आर्कटिक सर्किल के उत्तर में स्थित, नॉर्वे में भी कभी–कभी बारिश होती है."

उन्होंने बताया कि रेण्डियर हज़ारों वर्षों से सर्दियों के दौरान बर्फ़ को खुरच कर, काई और शैवाल तक पहुँच पाते थे, जिससे उनका पेट भरता है. मगर अब वे जमे हुए पानी को नहीं खुरच पा रहे हैं, और उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है.

यही कहानी केनया में दोहराई जा रही है जहाँ पशुपालकों और चरवाहों को अपने मवेशी खोने पड़ रहे हैं, चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण गम्भीर सूखा पड़ रहा है.

"यह वैश्विक संकट उत्पन्न होने में उनका कोई हाथ नहीं है और उन्हें ही यह पीड़ा झेलनी पड़ रही है. और इसीलिये यह एक मानवाधिकारों का मुद्दा है."

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह न्याय का मुद्दा भी है. सम्पन्न देशों और व्यक्तियों को उस प्रदूषण की क़ीमत चुकाने की ज़रूरत है जिसके लिये वे ज़िम्मेदार हैं ताकि नई परिस्थितियों के अनुरूप अपना जीवन ढालने में निर्बल समुदायों व व्यक्तियों की मदद की जा सके.

भविष्य का रास्ता...

मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिये इस विषय पर विमर्श के लिये एक निमंत्रण भी शामिल है. विशेष रैपोर्टेयर ने बताया कि उन्हें आशा है कि अगले वर्ष के दौरान ही ऐसा ही एक और प्रस्ताव पारित हो जाएगा.

"हमें इसकी ज़रूरत है. हमें सरकारों और हर किसी के तात्कालिक ज़रूरत की समझ के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है."

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वायु प्रदूषण के ऊँचे स्तर से स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि दुनिया फ़िलहाल जलवायु, जैवविविधता और प्रदूषण संकटों से जूझ रही है अन्य महामारियों के उभरने का ख़तरा भी बढ़ रहा है. इसकी मूल वजहों में पर्यावरणीय क्षति ही है.

इसी वजह से यह प्रस्ताव बेहद अहम है, चूँकि इसमें हर देश की सरकार से कहा गया है कि "आपको जलवायु कार्रवाई, संरक्षण, प्रदूषण से निपटने और भावी महामारियों की रोकथाम के केन्द्र में, मानवाधिकारों को रखना है."

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़, पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति से वायु गुणवत्ता, आहार, शारीरिक गतिविधियों में बेहतरी लाकर, हर साल लाखों ज़िन्दगियों की रक्षा सम्भव है.

यूएन विशेषज्ञ ने कहा कि अनेक आबादियों के लिये जलवायु आपात स्थिति, जीवित रहने का प्रश्न बन गई है.

"केवल व्यवस्थागत, गहरे और त्वरित बदलावों से ही इस वैश्विक पारिस्थितिकी संकट से निपटने की कार्रवाई सम्भव होगी."

डेविड बॉयड ने बताया कि मानवाधिकार परिषद में इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकृति मिलना, विरोधाभासों से भरा लम्हा है.

"एक ओर सफलता मिलने की अविश्वसनीय अनुभूति है और उसी समय यह भी अहसास है कि इन सुन्दर शब्दों से आगे जाकर उन्हें बदलाव में बदलने के लिये कितना काम बाक़ी है, जिससे लोगों की ज़िन्दगियाँ बेहतर और हमारे समाज ज़्यादा टिकाऊ होंगे."

ऐसी सम्भावना जताई गई है कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण के नए घोषित अधिकार के ज़रिये, ग्लासगो में यूएन के आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप26) में बातचीत सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ेगी.

यूएन महासचिव ने इस सम्मेलन को बहाव का रुख़ मोड़ने और प्रकृति के विरुद्ध युद्ध का अन्त करने का अन्तिम अवसर क़रार दिया है.

निष्कर्ष

वर्षों से तेजी से औद्योगिक विकास की तलाश में, पर्यावरण की गुणवत्ता विकास के सामान के अधीन हो गई है। व्यापक भूमि क्षरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मलिन बस्तियों की बढ़ती वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट के कारण अब हम अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति की ओर बढ़ रहे हैं। पर्यावरण का निरंतर क्षरण आधुनिक जीवित तकनीकी प्रगति, औद्योगीकरण और शहरीकरण का परिणाम है। समकालीन वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति ने मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। यह ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति का सबसे अच्छा वादा और सबसे बड़ा दुश्मन है। कानूनी सक्रियता ने पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम किया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपवादों के अलावा, भारतीय कानूनी प्रणाली ने भविष्य में होने वाली क्षति को रोकने के बजाय प्रदूषण क्षति के शमन पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य किया है।

संदर्भ

10 ऑस्टिन, ग्रेनविल. 1966, दि इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन : कॉर्नरस्टोन ऑ्फ ए नेशन, ऑक्स्फोर्ड : क्लेरेंडन प्रेस।

20 ऑस्टिन, ग्रेनविल. 1999, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टीट्यूशन : दि इंडियन एक्सपीरियन्स, नयी दिल्ली : ऑक्सफोर्ड

30 लॉयर्स क्लेक्टिव. 2007, स्टेयिंग अलाइव : फर्स्ट मॉनीटरिंग एंड इवैल्युएशन रिपोर्ट 2007 ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वूमैन फ्राम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट, 2005, नयी दिल्ली : लॉयर्स क्लेक्टिव।

4ए रामास्वामी, गीता. 2005, इंडिया स्टिंविंफग : मैनुअल स्वैफवेंजर्स इन आंध्र प्रदेश एंड देयर वर्वफ, नयी दिल्ली : नवनय पब्लिवेफशन।

5ए ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ;1985)3 एस सी सी 545

6ए पश्चिम बंग खेत मशदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ;1996)

7ए स्टेट ;देहली ऐडमिनिस्ट्रेशनद्ध वर्सेस लक्समन वुफमार ;1985) 4 एस सी सी 476

8ए सुभाष वुफमार वर्सेस स्टेट ऑप् ाफ बिहार ;1991) 1 एस सी सी 598

9ए पी. साईनाथ, प्त्हूज सैव्रिफपफाइस इज इट ऐनीवे\ त्र द हिन्दू, 6 सितंबर 1998